IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Government of the publication of the following english translation of notification no. 2092/XXIV-PC 2007-1-06 dated December 7, 2007

No. 2092/XXIV-P-3-2007-1-06 Lucknow: Dated December 7, 2007

IN exercise of powers under sub-section (4) of section 3 of the U.P. Electricity (Duty) Act, 1952 (U.P. Act no. XXXVIII of 1952) and section 22 of the Uttar Pradesh Special Economic Zone Development Authority Act, 2002 (U.P. Act no. 10 of 2002) the Governor is pleased to direct that with immediate effect Electricity Duty and Taxes on energy generated or purchased for utilisation in service area of Special Economic Zone shall be exampted for a period of ten years from the date of generation or commencement of service.

By order
V. N. GARG,
Pramukh sachív.

वीवरस्तव्यूव्यीव-एववीव 983 राजपत्र (हि०)-2007-(2171)-597 प्रतियां-कम्प्यूटर/आफरीट । गोवरसव्यूव्यीव-एवयीव ४ साव कर्जा-2007-(2172)-500 प्रतियां-कम्प्यूटर/आफरीट ।



रजिरह्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू/एन०पी०-91/2008-10 लाइभेन्स टू पोस्ट ऐट-क्रन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग_4, खण्ड (ख) (परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 7 दिसम्बर, 2007 अग्रहायण 16, 1929 शक सम्बत्

> उत्तर प्रदेश शासन ऊर्जा अनुभाग–3

संख्या 2092 / चौबीस-पी-3-2007-1-06 लखनक, 7 दिसम्बर, 2007

> . अधिसूचना

To 310-669

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (इयूटी) अधिनियम, 1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1952) की धारा-3 की उपधारा (4) और उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2002 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2002) की धारा 22 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निदेश देते हैं कि वात्कालिक प्रभाव से विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के सेवा क्षेत्र में उपयोगार्थ उत्पादित अथवा क्रय की गई ऊर्जा पर उत्पादन अथवा सेवा प्रारम्भ करने के दिनांक से दस वर्ष की अवधि के लिए इलेक्ट्रिसिटी इयूटी और करों से छूट दी जाएगी।

आज्ञा से, वी० एन० गर्ग, प्रमुख सचिव।